भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 278
04 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

मछुआरा समुदाय के लोगों हेतु आवास

†278. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में मछुआरा समुदाय के लिए सुनामी / बाढ़ प्रतिरोधी आवासों के प्रावधान हेतु कल्याणकारी योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में मछुआरों के लिए विभिन्न आवास कल्याण योजनाओं के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई है;

(ग) देश में मछुआरों के लिए पर्याप्त आवास, शैक्षणिक, खेल और चिकित्सा अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितना आबंटन और संवितरण किया गया है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ): मत्स्यपालन और मछुआरा कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मत्स्यपालन और मछुआरा कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिलनाडु में मछुआरा समुदाय के लिए सुनामी/बाढ़ प्रतिरोधी घरों के प्रावधान के लिए कोई योजना नहीं थी।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी के विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को लागू कर रहा है। पीएमएमएसवाई में अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए कई कल्याण संबंधी गतिविधियों की परिकल्पना की गई है जिसमें शामिल है - (i) समुद्री राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विल्लेजस का विकास, जिसका उद्देश्य सतत मत्स्यन प्रथाओं (सस्टेनेबल फिशिंग प्रेक्टीसेस) के माध्यम से पर्यावरणीय नुकसान को कम करते हुए तटीय मछुआरों को आर्थिक और सामाजिक लाभ को इष्टतम करना है, (ii) आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए 5.00 लाख रुपए, आकस्मिक स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता के लिए 2.50 लाख रुपए और आकस्मिक तौर पर अस्पताल में भर्ती होने के लिए 25,000 रुपए कवरेज के साथ बीमा, (iii) मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1 अप्रैल 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है, जिससे पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान की जा सके। आज तक, 4.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य में से, 3.79 करोड़ घर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 3.31 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है और 2.69 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। तमिलनाडु राज्य में, 9,57,825 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 7,48,742 घरों को मंजूरी दी गई है और 6,33,052 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मैदानी इलाकों में लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपए और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 1.30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपए की सहायता भी दी जाती है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत पाइप द्वारा पेयजल, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन आदि के लिए भी अभिसरण प्रदान किया जा रहा है । इसके अलावा, पीएमएवाई-जी की महिला लाभार्थियों को आजीविका और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए स्व सहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ा जा रहा है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पांच प्रतिशत तक लक्ष्य विशेष परियोजनाओं के लिए आरक्षित हैं, जिसमें सुनामी और बाढ़ जैसे प्राकृतिक खतरों के मामले में परिवारों के पुनर्वास/पुनर्स्थापन के लिए राज्यों को लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान तमिलनाडु को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत जारी केंद्रीय अंश 3527.69 करोड़ रुपए है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 2015-16 से 2019-20 के दौरान कार्यान्वित की गई 'ब्लू रेवोल्यूशन' की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, मछुआरों के लिए कुल 18,886 घरों को मंजूरी दी गई और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 104.69 करोड़ रुपए की केंद्रीय धनराशि जारी की गई।

इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य सरकार ने 98.28 करोड़ रुपए के आवंटन से, 2016-17 से 2024-25 की अवधि के दौरान फिशरमन कोपरेटिव सोसाइटी (एफसीएस) / फिशरवुमन कोपरेटिव सोसाइटी (एफडब्ल्यूसीएस) के सदस्य के रूप में नामांकित समुद्री और अंतर्देशीय क्षेत्र के मछुआरों को 5,000 घरों को मंजूरी देने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं। 5,000 घरों में से, 3,472 घरों का निर्माण शुरू हो चुका है और 3,386 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ।

*****